COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

177

A-1501-PBR/07

20

19

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला- जबलपुर

राजस्व अपील क्रमांक-------/05

2 7 DEC 2005

1442
27/12/05

रेवा प्रसाद आत्मज- सन्जू प्रसाद लोधी
साकिन- धुरनेर, प०ह०नं०-58, राजस्व
निरीक्षक मण्डल- निवास, तह- मण्डला,
जिला-मण्डला (म.प्र.) -------- अपीलार्थी

विरुद्ध

महेश प्रसाद आत्मज- झनकलाल लोधी (मृत)

वारसान

1. माधुरीबाई बेवा महेश प्रसाद लोधी
2. नारायण प्रसाद पिता- महेश प्रसाद लोधी
3. गणेश प्रसाद पिता-महेश प्रसाद लोधी.

सभी निवासी- धुरनेर, प०ह०नं०-58, रा.नि.
मण्डल- निवास, तह० व जिला-मण्डला (म.प्र.)----- उत्तरवादीगण।

अपील अंतर्गत धारा- 44 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता।

अपीलार्थी राजस्व अपील क्र.-244/अ-13/00-01 में न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक-16/12/05 से दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों परयह अपील प्रस्तुत करता है :-

:: प्रकरण के तथ्य ::

1. यह कि, ग्राम- धुरनेर प०ह०नं०- 58, रा.नि.मं.-- निवास

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 1501–पीबीआर/07 जिला – मण्डला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–5–16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया है, तभी से आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । आवेदक को कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	